

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the table of the House by Ministers/Members.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अधिसूचना संख्या 17/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) अधिसूचना संख्या 18/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोलियम कूड के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (3) अधिसूचना संख्या 19/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं, नामतः पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से निर्यात किए जाने पर सड़क और अवसंरचना उपकरण से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) अधिसूचना संख्या 20/2022 – केंद्रीय उत्पाद जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसका आशय पेट्रोल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकरण को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7147A/17/22]

... (व्यवधान)

14.04¹/₂hrs

-